



LABOUR DEPARTMENT / श्रम विभाग
GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
LABOUR DEPARTMENT HARYANA
श्रम विभाग हरियाणा

Off: 30 Rays Building, 1st Floor, Sector 17-B, Chandigarh-160017 (India) Tel: 91(0172)2701337 Fax: 91(0172)2701266
ऑफिस: 30 रेज बिल्डिंग, प्रथम मंल, सेक्टर 17-बी, चण्डीगढ़ - 160017 (भारत) दूरभाष: 91(0172)2701337 फैक्स: 91(0172)2701266

उत्पादकता एवं सामाजिक न्याय
Productivity with Social Justice
श्रम विभाग
श्रम विभाग
Peace, Harmony and Safety

कार्यालय आदेश

हरियाणा सिविल सर्विस (सामान्य), नियम, 2016 के बिन्दु न0 89 में किये गये प्रावधान अनुसार मिस कोमल, कनिष्ठ आशुलिपिक कार्यालय उप श्रम आयुक्त, सर्कल-1, गुरुग्राम का 180 दिनों के लिए अस्थायी तौर पर मुख्यालय कार्यालय उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, सोनीपत निश्चित किया जाता है। कर्मचारिका का वेतन उनके मूल कार्यालय से ही झा किया जाएगा।

यह आदेश तुरत प्रभाव से लागु होंगें।

दिनांक: 20.09.2019

नितिन कुमार यादव,
श्रम आयुक्त, हरियाणा।

पृष्ठांकन क्रमांक/स्था0/01/2019/29831-36 दिनांक: 20/9/19

प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है:-

1. नीजि सचिव/श्रम आयुक्त, हरियाणा।
2. उप श्रम आयुक्त, सर्कल-1, गुरुग्राम
3. उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, सोनीपत।
4. संबंधित कर्मचारिका।
5. संबंधित कर्मचारिका की नीजि फाईल।
6. कार्यालय आदेश फाईल।

Misra
अतिरिक्त श्रम आयुक्त (प्रशा0)
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।